भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1131
दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

सखी केन्द्र

1131. श्रीमती जसकौर मीनाः
श्रीमती साजदा अहमदः
श्री निहाल चन्द चैहानः
डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामीः
डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः
श्री गौरव गोगोईः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत मदद एवं सहायता प्रदान करने के लिए सखी/वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है तथा योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान सहित स्वीकृत एवं स्थापित प्रचालन केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) देश भर में इन केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/ सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इन केन्द्रों में विशेषज्ञों की भारी कमी है और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या देश भर में स्वीकृत ऐसे काफी केन्द्र बंद हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और
(च) क्या सरकार का विचार निर्भया निधि के अंतर्गत फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : वन स्टाप सेंटर (ओएससी) स्कीम, जिसे सामान्यतः सखी केंद्रों के रूप में जाना जाता है, का कार्यान्वयन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में किया जा रहा है । आज की स्थिति के अनुसार, लगभग 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 680 वन स्टाप केंद्रों की स्थापना की गई है ।

वन स्टाप सेंटर स्कीम के अनुसार, वन स्टाप सेंटर से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को, पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय

सहित एक ही छत के नीचे एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और ये केंद्र अस्पतालों या चिकित्सा सुविधाओं के दो किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थापित होने चाहिए । मंजूर और प्रचालनरत वन स्टाप केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में है ।

(घ) से (ड़) तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में वन स्टाप सेंटरों के लिए जन शक्ति को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार भर्ती किया जाता है और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है ।

(च) : भारत सरकार ने पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बलात्कार के लम्वित मामलों का तेजी से विचारण करने और इनको समयबद्ध रूप से निपटाने के लिए पूरे देश में निर्भया निधि के अंतर्गत 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है ।

******

अनुलग्नक-I

'सखी केंद्र' विषय पर श्रीमती जसकौर मीना, श्रीमती साजदा अहमद, श्री निहाल चन्द चैहान, डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामी, डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डी, श्री गौरव गोगोई, श्रीमती रंजीता कोली द्वारा दिनांक 07.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतांराकित प्रश्न संख्या 1131 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

स्वीकृत और प्रचालनरत वन स्टाप सैंटरों (ओएससी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	स्वीकृत वन स्टाप केंद्रों की सख्या	प्रचालनरत वन स्टाप केंद्रों की सख्या
1	अंडमान और निकोबार (यूटी)	3	3	3
2	आंध्र प्रदेश	13	14	13
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25	24
4	असम	33	33	31
5	बिहार	38	38	38
6	चंडीगढ़ (यूटी)	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	27	27	27
8	दादर और नागर हवेली (यूटी)	1	1	1
9	दमन और दीव (यूटी)	2	2	2
10	गोवा	2	2	2
11	गुजरात	33	33	33
12	हरियाणा	22	22	22
13	हिमाचल प्रदेश	12	12	12
14	जम्मू और कश्मीर	20	20	7
15	झारखंड	24	24	24
16	कर्नाटक	30	30	30
17	केरल	14	14	14
18	लक्षद्वीप (यूटी)	1	2	0
19	लद्दाख (यूटी)	2	1	1
20	मध्य प्रदेश	51	51	51
21	महाराष्ट्र	36	37	37
22	मणिपुर	16	16	16
23	मेघालय	11	11	11
24	मिजोरम	8	8	8
25	नागालैंड	11	11	11
26	दिल्ली (यूटी)	11	11	11
27	ओडिशा	30	30	30
28	पुद्दुचेरी (यूटी)	4	4	4
29	पंजाब	22	22	22
30	राजस्थान	33	33	33
31	सिक्किम	4	4	1
32	तमिलनाडु	32	34	32
33	तेलंगाना	33	33	32
34	त्रिपुरा	8	8	8
35	उत्तर प्रदेश	75	75	75
36	उत्तराखंड	13	13	13
37	पश्चिम बंगाल	23	23	0
	कुल	**724**	**728**	**680**